न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36 / 2018	04.07.2018	20.08.2019

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर – आवेदक

बनाम

राजेश गर्ग उर्फ राजेश कुमार गुप्ता पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी पानी की टंकी के पास कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी (खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म मालिक) मैसर्स राजेश कुमार गुप्ता पानी की टंकी के पास कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर –अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय

दिनांक–20.08.2019

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक– 02.01.18 को समय 2:00 पी0एम0 पर राजेश गर्ग के मकान जो पानी की टंकी के पास कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर पर स्थित है, पहुँचा, वहाँ पर राजेश गर्ग उर्फ राजेश कुमार गुप्ता पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी पानी की टंकी के पास कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी (खाद्य कारोबारकर्ता एवं फर्म मालिक) उपस्थित था। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/ खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी। विक्रेता ने मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना जाहिर किया। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। जहॉ पर निर्माण एवं विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ कुरकुरे लगभग 15 किलोग्राम में रखा हुआ था, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नंबर 5 की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय राशि नकदी चुकाकर प्राप्त किये। खरीदे गये खाद्य पदार्थ कुरकुरे 2 किलोग्राम की पैकिंग के चारों पेकिटों को अलग अलग चार डिब्बों में रखकर अच्छी तरह से बंद किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, नमूने का विवरण अभिहित अधिकारी,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक–एच 1312 पर अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया। नमूनों को सीलबन्द कर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये। नमूने की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2018/175 दिनांक–16.01.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 01/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/17 दिनांक–10.01.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कुरकुरे सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा करवाये गये जिस पर कार्यालय के पत्रांक–एफएसएसए/2018/1793 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा आवेदक को इस केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। आवेदन पत्र में अंकित किया गया है कि इस प्रकार अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आमजनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि झूँठे तथ्यों के आधार पर यह परिवाद तैयार किया गया है जो सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया गया है कि परिवादी वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी अप्रार्थी की पुत्री के ससुर साहब गोपाललाल के निकटतम मिलने वाले एवं चिरपरिचित व्यक्ति है। चूंकि मिन जवाबदार व गोपाललाल आपस में सगे ब्याई है जिनमें अप्रार्थी जवाबदार की पुत्री के विवाह को लेकर मुकदमेबाजी व रंजिश चल रही है। उक्त रंजिश व मुकदमेंबाजी के कारण ही उक्त कार्यवाही गलत व आधारहीन तथ्यों के आधार पर की गई है। दिनांक 02.01.2018 को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जवाबदार के काका को लेकर समझाईस व राजीनामें हेतु आये थे तथा पॉच आदमियों में मिन जवाबदार व गोपाललाल के मध्य चल रहे विवाद के निस्तारण हेतु कुछ खाली कागजों पर भी हस्ताक्षर करवाकर आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 आदि दस्तावेजात मध्यस्थ

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
रंगापुर सिटी (स०मा०)

के रूप में मिनजवाबदार से प्राप्त किये थे। मिन जवाबदार परिवादी की उक्त बातों पर विश्वास करते हुए पूर्णतः आश्वस्त था कि अब अप्रार्थी व उसके रिश्तेदार के मध्य चल रहे विवाद का अब अंतिमरूप से निस्तारण हो जावेगा परन्तु आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण उक्त राजीनामा नहीं हो सका और परिवादी गोपाललाल के प्रभाव व बहकावे में आकर उक्त परिवाद गलत रूप से पेश किया है जो सरसरी तौर पर खारिज होने योग्य है। अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि मनगढंत व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत परिवाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ कुरकुरे का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए।

वकील अभियुक्त ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं सेम्पिल रंजिशवश लिया गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया है। भविष्य में वह इसका विशेष ध्यान रखेगा एवं गलतियों का दोहरान नहीं करेगा। प्रार्थी गरीब एवं मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाला दुकानदार है। इसलिए प्रार्थी के अपराध को माफ किया जावे एवं न्यूनतम पेनल्टी लगाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने निरीक्षण अभियुक्त के यहॉ निर्माण एवं विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ कुरकुरे का नियमानुसार नमूना लिया गया जो खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या–01/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/17 दिनांक–10.01.2018 द्वारा Substandard प्रकृति का पाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा जो कुरकुरे खाद्य पदार्थ निर्माण एवं विक्रय हेतु अपने यहॉ रखा हुआ था वह सबस्टेण्डर्ड था एवं इस प्रकार के खाद्य पदार्थ के उपयोग से आमजनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना थी। अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति की खाद्यवस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा जवाब में अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त के द्वारा की गई अनियमितता के लिए अभियुक्त को 3,000/– रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर–भीतर जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)